न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
65/2017/प्रा.पत्र/2017	01.09.2017	20.06.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री जमीर अहमद पुत्र हकीम जहूर अहमद जाति मुसलमान निवासी गली अंसारियान मोहल्ला कालीपलटन टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स नूरानी दवाखाना काफला बाजार पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0

2– मैसर्स नूरानी दवाखाना काफला बाजार पांच बत्ती टोंक जिला टोंक

3–श्री वैभव खण्डेलवाल निवासी दुकान नं. 10,शास्त्री नगर जयपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स श्री राम ड्रग स्टोर 223,बिचडू मार्केट किशनपोल बाजार जयपुर राज0

4– मैसर्स श्री राम ड्रग स्टोर 223,बिचडू मार्केट किशनपोल बाजार जयपुर राज0

5–श्री मोहम्मद शोएब अकरम प्रोपरायटर मैसर्स रैक्स (यू एण्ड ए) रेमीडिज प्रा0 लि0 सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया करसना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्व नगर उत्तरप्रदेश/रजि0 ऑफिस ए–51/1 जी टी करनाल रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली

6– मैसर्स रैक्स (यू एण्ड ए) रेमीडिज प्रा0 लि0 सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया करसना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्व नगर उत्तरप्रदेश/रजि0 ऑफिस ए–51/1 जी टी करनाल रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री मुबीन अहमद खांन प्रतिनिधि उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 20.06.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.04. 2017 को समय सांय 1.00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नूरानी दवाखाना काफला बाजार पांच बत्ती टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री जमीर अहमद पुत्र हकीम जहूर अहमद जाति मुसलमान निवासी गली अंसारियान मोहल्ला कालीपलटन टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स नूरानी दवाखाना काफला बाजार पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** जिसके बैच नम्बर 11/224 एंव पैकिंग की दिनांक 06/2016 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री जमीर अहमद को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

821

Scanned by CamScanner

नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता जमीर अहमद एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** की 750–750 एमएल पैक के लगभग 10 बोतल पैक्ड अवस्था मे से 4 मूल पैक बोतल का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 4 मूल पैक बोतल **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री जमीर अहमद को रू0 440/–अक्षरे चार सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** 750&750 एमएल पैक को ज्यो का त्यो अलग–अलग चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1655 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1655 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. जमीर अहमद के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री जमीर अहमद ने मौके पर **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** बतोर वारन्टी मैसर्स श्री राम ड्रग स्टोर 223,बिच्छू मार्केट किशनपोल बाजार जयपुर राज0 का खरीद बिल कमांक 00395 दिनांक 10.04.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।वारन्टी होने के कारण श्री राम ड्रग स्टोर 223,बिच्छू मार्केट किशनपोल बाजार जयपुर राज0 ने बतोर वारन्टी मैसर्स रैक्स (यू एण्ड ए) रेमीडिज प्रा0 लि0 सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया कसना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्व नगर उत्तरप्रदेश/रजि0 ऑफिस ए–51/1 जी टी करनाल रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली का बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 00268 दिनांक 21.06.2016 की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./17/2218 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/309/एक्ट/2017/309 दिनांक 22.05.2017 अनुसार जमीर अहमद से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शर्बत गुलाब रैक्स ब्राण्ड** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 8.22.
टोंक

Scanned by CamScanner

(55)

अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के तहत अप्रार्थी श्री जमीर अहमद पुत्र हकीम जहूर अहमद जाति मुसलमान निवासी गली अंसारियान मोहल्ला कालीपलटन टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स नूरानी दवाखाना काफला बाजार पांच बत्ती टोंक जिला टोंक राज0पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री वैभव खण्डेलवाल निवासी दुकान नं. 10,शास्त्री नगर जयपुर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स श्री राम ड्रग स्टोर 223,बिच्छू मार्केट किशनपोल बाजार जयपुर राज0 पर शास्ति 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री मोहम्मद शोएब अकरम प्रोपरायटर मैसर्स रैक्स (यू एण्ड ए) रेमीडिज प्रा0 लि0 सूरजपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया कसना ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्व नगर उत्तरप्रदेश/रजि0 ऑफिस ए–51/1 जी टी करनाल रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली पर शास्ति 21,000/– (अक्षरे इक्कीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner